...क्रम सं0 तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
3/11/21	**आदेश** प्रस्तुत एस0 सी0 वाद सं0–13/2020–21 (जगरनाथ सिंह एवं अन्य–बनाम–मोतीलाल पंडित एवं अन्य) प्रथम आवेदक–जगरनाथ सिंह, अशोक सिंह, पिता–देवेन्द्र नाथ सिंह, बैद्यनाथ सिंह, पिता–स्व० रविन्द्र नाथ सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह, पिता–पुरनेन्दु नारायण सिंह, आशीष कुमार सिंह, दीपक कुमार सिंह, समीर कुमार सिंह, पिता–विजय प्रसाद सिंह, साकिन–केन्दवरिया, थाना–करौं, अंचल–करौं एवं द्वितीय आवेदक–मोतीलाल पंडित, पिता–स्व0 बिशु पंडित, दुबराज पंडित, पिता–स्व० टेकलाल पंडित, साकिन–केन्दवरिया, थाना–करौं, अंचल–करौं, जिला–देवघर द्वारा अपनी सुविधा हेतु अपने–अपने जमीन का बदलेन हेतु समर्पित आवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यालय के ज्ञापांक–296/डी0बी0 दिनांक–21.10.2020 के द्वारा अंचल अधिकारी, करौं से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी, जो उनके पत्रांक–821/रा0, दिनांक–31.12.2020 से प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। प्रस्तुत वाद में विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा दाखिल कागजातों एवं अंचल अधिकारी, करौं के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, करौं द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–केन्दवरिया, थाना नम्बर–622, जमाबंदी नम्बर–12, दाग नम्बर–266, रकवा–15 डी० किस्म बाड़ी दोयम भूमि दखल नील रतन सिंह दी0 व0नं0 549 बकास्त मोकरीदार के नाम से कहकर सर्वे पर्चा में दर्ज है। उक्त भूमि के रकवा–15 डी0 भूमि प्रथम पक्ष जगरनाथ सिंह एवं अन्य, साकिन–केन्दवरिया, थाना–करौं, अंचल–करौं जो कि पर्चाधारी रैयत के वंशज है के द्वारा द्वितीय पक्ष मोतीलाल पंडित एवं अन्य, साकिन–केन्दवरिया, थाना–करौं, अंचल–करौं के द्वारा मौजा–केन्दवरिया, थाना नम्बर–622, जमाबंदी नम्बर–49, दाग नम्बर–539, रकवा–08 डी0 किस्म–धानी सेम वो दाग नं0–542, रकवा–09 डी0, किस्म–वाड़ी एक वो दाग नं0–544, रकवा–07 डी0, किस्म–मकान वो दाग नं0–726, रकवा–1.30 एकड़, किस्म–वाड़ी दो0 किनू पंडित दी0 के नाम से सर्वे पर्चा में दर्ज है के अंश रकवा–15 डी0 भूमि एक दूसरे के साथ परिबदल में देना चाहते हैं। अंचल अधिकारी, करौं द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि दोनो पक्ष एक ही मौजा के वारिसान तथा परिबदल की जाने वाली जमीन भी एक ही मौजा में है तथा दोनो पक्षों के द्वारा अपने–अपने सुविधा के लिये आपसी सहमति से अपने–अपने जमीन का परिबदल करना चाहते है। दोनो पक्षों के द्वारा परिबदल करने वाली जमीन का मूल्य बराबर है। अतः अंचल अधिकारी, करौं के अनुशंसा के आधार पर आवेदक प्रथम पक्ष – जगरनाथ सिंह एवं अन्य, साकिन–केन्दवरिया, थाना–करौं, अंचल–करौं एवं आवेदक द्वितीय पक्ष–मोतीलाल पंडित एवं अन्य, साकिन–केन्दवरिया, थाना–करौं, अंचल–करौं, जिला–देवघर के नाम से उपर्युक्त भूमि का आपसी बदलेन की स्वीकृति दी जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, करौं को भेजे। **लेखापित एवं शुद्धित** 3/11/21 अनुमण्डल पदाधिकारी मधुपुर। 3/11/21 अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।	

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2021.11.29 15:27:16 +05:30
Location: 192.168.1.209